(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1670–एक/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–07–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 341/2006–07 अपील

1– ललनकुमार 2– मनभरण प्रसाद 3– सत्यनारायण
4– शिवकुमार 5– बुद्धसेन 6– उग्रसेन 7– ज्ञानचन्द्र
सभी पुत्रगण रामस्वरूप पाण्डेय ग्राम दादर तहसील
हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– लक्ष्मणप्रसाद पुत्र स्व.बेनी माधव
(मृत वारिस)
शिवप्रसाद पुत्र स्व. लक्ष्मणप्रसाद
2– अजय तिवारी 3– अभय तिवारी पुत्रगण शिवप्रसाद
4– सुरेश 5– सत्यभान 7– राजभान पुत्रगण रामावतार
8– वेवा पत्नि रामावतार सभी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा
9– मानवती 10– सत्यवती उर्फ मुन्नी पुत्रियॉ रामवतार
11–राममिलन 12– राज्ञय 13– उग्रभान पुत्रगण मंगलराम तिवारी
सभी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा
14–भुवनेश्वर प्रसाद 15– रामानुज पुत्रगण स्व.सरजूराम तिवारी
निवासी ग्राम रूहिया वेला तहसील अमरपाटन जिला सतना
16– नंदकिशोर 17– देवकरण 18– सनतकुमार पाण्डेय
तीनों पुत्रगण स्व.रामस्वरूप पाण्डेय
19–रोहपिया देवी 20– कुसमकली देवी पुत्रियॉ स्व.रामस्वरूप
सभी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा
21– रामरूप पुत्र रामनारायण द्विवेदी
22– दूधनाथ 23– कमलाकांत पुत्रगण स्व.गिरजा प्रसाद
निवासीगण सभी ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 -09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 341/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-07-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम दादर स्थित कुल किता 5 कुल रकबा 10.59 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि पर कच्ची टीप संबत 1997 अर्थात अंग्रेजी सन् 1940 के आधार पर आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार वृत्त बनकुईया ने प्रकरण क्रमांक 40 अ-6/99-2000 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनॉक 7-7-2004 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील क्रमांक 197 अ-6/2003-04 एंव अनावेदक क्रमांक 21, 22, 23 ने अपील क्रमांक 280 अ-6/2003-04 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने पक्षकारों को श्रवण कर दोनों अपील प्रकरणों में सॅयुक्त आदेश दिनांक 19-12-2006 पारित किया तथा तहसीलदार वृत्त बनकुईया के आदेश दिनॉक 7-7-2004 को निरस्त करके अपील स्वीकार कीं। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 341/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-07-2007 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित अधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये। सम्यक सूचना की तामीली अभाव के कारण पंजीकृत डाक से भी सूचना दी गई, इसके वाद भी उनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदकगण व्दारा तहसीलदार बनकुईया के समक्ष आवेदन देकर वादग्रस्त भूमि पर कच्ची टीप संबत 1997 अर्थात अंग्रेजी सन् 1940 के आधार पर वर्ष 99-2000 में नामान्तरण किये जाने की मांग की गई है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने आदेश दिनांक 19-12-06 में इस प्रकार विवेचना कर निष्कर्ष दिये है :-

1. संबत 1980 एंव विकय पत्र तथा खतौनी वर्ष 58-59 खसरा वर्ष 56-57 से 59-60 एं खसरा वर्ष 84-85 से 86-87, खसरा वर्ष 74-75 से 78-79 के आधार पर ग्राम दादर के ..... कुल रकबा 4.294 है. के 3/4 भाग का नामान्तरण अनावेदकगण 1 से 7 के नाम स्वीकार किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विकीनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें कौन कौन से नंबर वादग्रस्त भूमि के विकी किये गये थे उसका लेख नहीं है। विकीनामा भी अपॅजीकृत है । उक्त के संबंध में होई कोर्ट जुडी केचर रीवा स्टेट ने अपने आदेश दिनांक 26-3-46 जो कि उसी भूमि से संबंधित प्रकरण रामस्वरूप बनाम सरजूराम के संबंध में यह उल्लेखित किया है कि कि 25 रू. से अधिक के विकय पत्र की रजिस्ट्री पॅजीकृत होना अनिवार्य है जबकि कथित विकय पत्र 90/-रू. का था। इसके अलावा विकीनामे का जो दस्तावेज संलग्न है उसमें भूमि का नंबर अंकित नहीं है और न ही संगत साक्ष्यों से सावित ही किया गया है। इसलियें इन दस्तावेजों का कोई महत्व नहीं है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत कच्ची विकी टीप को कतई बैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।

2. आवेदक/रिस्पा. ने संबत 1997 (वर्ष 1940 ई.) की कच्ची बेंची टीप को लगभग 64 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया। इस टीप को उसने इतनी लम्बी अवधि तक दवाये रखना यह तथ्य भी अपंजीकृत कच्ची टीप पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है।

3. यदि कच्ची बेची टीप के आधार पर किसी न्यायालय व्दारा कार्यवाही की जाना होती है तब टीप में आये साक्ष्यों का परीक्षण आवश्यक एंव अनिवार्य होता है । इस कार्यवाही के बिना कच्ची टीप के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष अवैधानिक एंव शून्य होता है।

4. अपीलांट के भाई बैजनाथ प्रसाद ने दिनांक 12-6-81 को पोखरा बांध को कर्जा पटाकर ठाकुरदीन राम तनय मंगलराम साकिन दादर से मुक्त करा लिया था इससे स्पष्ट है कि आवेदक ने या उसके पूर्वज ने भूमियां गहन में दी थी और उन्हें कालान्तर मुक्त करा लिया था।

जबकि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7-4-04 से, संबत 1997 (वर्ष 1940 ई.) की कच्ची बेंची टीप के लगभग 64 वर्ष आवेदन आने पर वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया है । अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 19-12-06 में निकाले गये उक्तानुसार निष्कर्ष स्वतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई नामान्तरण की कार्यवाही विधि विरूद्ध है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 341/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-07-2007 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। विचाराधीन निगरानी में आवेदकगण के अभिभाषक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 19-12-06 में निकाले गये निष्कर्षो से असहमत होने वावत् समाधान नहीं करा सके हैं जिसके कारण निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 341/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-07-2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर